सं0 जेड–14011/01/2016–ईएंडए
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002

दिनांक 23 मार्च, 2020

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः कोविड–19 के संक्रमण को रोकने के लिए निवारक उपाय के रूप में एफ.एस.ए.आई में अनिवार्य सेवाओं का कार्यकरण

समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 20.03.2020 के अतिक्रमण में तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 फा0 सं0 11013/9/2014–स्थापना (ए III), दिनांक 22.03.2020 के संदर्भ में एफ.एस.एस.ए.आई की निम्नलिखित सेवाएँ अनिवार्य मानी जाती हैं:

1) खाद्य वस्तुओं की आयात निर्मुक्ति
2) एफ.एस.एस.ए.आई–अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ (राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं सहित)।
3) मौजूदा खाद्य कारोबार लाइसेंसों का नवीकरण

2. उपर्युक्त अनिवार्य सेवाओं का कार्य करने वाले सभी कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होना अपेक्षित है, जिससे ये सेवाएँ सुचारू रूप से दी जा सकें।

3. घर से काम कर रहे अन्य कर्मचारी हर समय टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनी संचार माध्यमों पर उपलब्ध रहें। कार्य की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए बुलाए जाने पर वे कार्यालय में उपस्थित हों। घर से काम कर रहे कर्मचारी अपने मुख्यालय को अनुमति लिए बिना न छोड़ें।

4. एफ.एस.एस.ए.आई की वित्त इकाई में काम कर रहे व्यक्ति यह सुनिश्चित करें कि धन राशियों के सुचारू वितरण के लिए वे बुलाए जाने पर कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएँ।

5. उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 31 मार्च, 2020 तक लागू होगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(राजीव कुमार जैन)
कार्यकारी निदेश्क

सेवा में

1. सभी प्रभाग प्रमुख
2. मुख्याल के सभी अधिकारी/कर्मचारी – अनुपालन के लि
3. निदेशक, एफ.एस.एस.ए.आई के क्षेत्रीय कार्यालय/प्रयोगशालाएँ
4. सीआईटीओ – वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि :

अध्यक्ष के निजी सचिव/सीईओ के ओसीडी